प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –372 / 2023

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. सुगनाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. रूकमणी पुत्री काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 01.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 17 / 15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से काशीराम पुत्र परतुराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर में संयुक्त रूप से 3.288 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार थे।

वादी के पिता काशीराम पुत्र परतुराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर दिनांक 30.06.2018 को फौत हो चुके है तथा उनकी धर्मपत्नी गोमती देवी पत्नी काशीराम जाति ब्राहमण साकिन जबरासर तहसील नोहर दिनांक 09.03.2019 को फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उनके चार वारिस भंवरलाल, रामनिवास, सुगनाराम एवं रूकमणी के उक्त वाद भूमि दर्ज हुई। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 17 / 15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 274 / 16419 हिस्सा भूमि दर्ज दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया स0 3 जो की वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी प्रतिवादी स0 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वादी उक्त वाद भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक 1.0960 हैक्ट भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी का बहिब हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 17/15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 274/16419 हिस्सा भूमि दर्ज दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक गोमती के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 17/15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 274/16419 हिस्सा भूमि दर्ज दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्येक को 1.096 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 1/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –372/2023

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. सुगनाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. रूकमणी पुत्री काशीराम जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 372 सन 2023 निर्णय दिनांक 01.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 17/15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 274/16419 हिस्सा भूमि दर्ज दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक को 1. 096 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested